

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा, मा0प्र0से0,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

**Fax/
E-Mail**

सभी समाहर्ता, बिहार,
सभी समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार,
निदेशक/उपनिदेशक, चकबंदी निदेशालय।

पटना-15, दिनांक-

विषय :- अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर स्थानांतरण हेतु अधिसूचित पदाधिकारियों को विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-345(3)/रा0, दिनांक-27.06.2018, अधिसूचना सं0-350 (3)/रा0, दिनांक-29.06.2018 एवं अन्य अधिसूचनाओं के द्वारा अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया है। प्राप्त सूचनानुसार विभिन्न जिलों/कार्यालयों से स्थानांतरित पदाधिकारियों को अधिसूचित नव पदस्थापन स्थान पर योगदान देने हेतु अभी तक विरमित नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय प्रासंगिक अधिसूचनाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत स्थानांतरित पदाधिकारियों को अधिसूचित पद पर योगदान देने हेतु पत्र निर्गत की तिथि से दो (02) दिनों के अन्दर विरमित करने की कृपा की जाय। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा विरमित नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक-17.07.2018 के प्रभाव से सभी संबंधित पदाधिकारी स्वतः विरमित समझे जायेंगे एवं पारगमन काल का उपभोग किये बिना नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

अंचल अधिकारी, कटोरिया, बांका को श्रावणी मेला को देखते हुए दिनांक-30.08.2017 को विरमित किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-


(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।

ई-मेल ✓

ज्ञापक-3/स्था0 पदस्थापन-22/2018 (खंड)- 367 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक- 13-07-18

प्रतिलिपि :-आई0टी0मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं सभी संबंधित अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के स्थानांतरित पदाधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

2. सभी स्थानांतरित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि दिनांक-17.07.2018 को अपने प्रतिस्थानी का इंतहार किये बिना अपने-अपने नव पदस्थापन कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें।


(ब्रजेश मेहरोत्रा), 13/7
प्रधान सचिव।